पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-109
दिनांक-16.1.2026

जोन- पूर्वी/ थाना- गोमतीनगर

- **थाना गोमतीनगर पुलिस टीम द्वारा 01 मोबाइल चोर/अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**
- **अभियुक्त को कब्जे से चोरी का मोबाइल फोन बरामद।**

01-सक्षिप्त विवरण-

थाना स्थानीय पर दिनांक 02.09.2025 को वादी श्री अरविन्द कुमार निवासी ग्राम देवापार, पोस्ट भगौसा थाना दुधारा जनपद संत कबीर नगर के प्रार्थना पत्र के आधार पर मु0अ0सं0 409/2025 धारा-303(2) बीएनएस बावत- प्रतिवादी द्वारा वादी का फोन हेल्थ सिटी ट्रामा सेन्टर अस्पताल के बेसमेन्ट से चोरी करने विषयक, बनाम 1.कुलदीप पुत्र राजेश निवासी कसैन्जा बाराबंकी पंजीकृत होकर विवेचना उ0नि0 अंतिम कुमार सिंह द्वारा की जा रही है।

दिनांक 15.01.2025 को थाना गोमतीनगर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त कुलदीप कुमार पुत्र राजेश उम्र 24 वर्ष उपरोक्त को लोहिया चौराहे से नाबार्ड की तरफ जाने वाले लोहिया पार्क सर्विस रोड समय 22.15 बजे गिरफ्तार किया गया, कब्जे से IMEI न०-86522305722681 व सिरयल न० 30647/E1QC26965 फोन बरामद किया गया जो मु0अ0सं0 409 धारा 303(2) बीएनएस थाना गोमतीनगर से सम्बंधित है बरामदी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) की बढोत्तरी की गयी। अभियुक्त के विरुध आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

02-बरामदगी-

- 01 अदद मोबाइल फोन IMEI न०-86522305722681 व रेडमी।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01-कुलदीप कुमार पुत्र राजेश कुमार नि0 ग्राम कंशौजा थाना मोहम्मदपुर खाला तहसील फतेहपुर जनपद बाराबंकी उम्र 24 वर्ष।

04-अनावरित अभियोग-

01-मु0अ0सं0 409/2025 धारा-303(2)/317(2) बीएनएस थाना गोमतीनगर लखनऊ

नोट—अभियुक्तगण के अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

05-गिरफ्तारी करने वाली थाना गोमतीनगर पुलिस टीम-

1.उ0नि0 अतिंम कुमार सिंह थाना गोमतीनगर लखनऊ
2. उ0नि0 अर्जुन सिंह थाना गोमतीनगर लखनऊ
3. का0 पंकज कुमार थाना गोमतीनगर लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-107
दिनांक 16.01.2026

मध्य जोन/थाना हुसैनगंज

- **थाना हुसैनगंज पुलिस टीम द्वारा 03 नफर शातिर झपटमार / बाल अपचारी को लिया गया अभिरक्षा में।**
- **बाल अपचारीगण के कब्जे से झपटमारी के 01 अदद एन्ड्रायड मोबाइल, मोबाइल बाडी पार्ट्स व घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोटरसाइकिल को बरामद किया गया।**

01-कार्यवाही:

पुलिस आयुक्त महोदय और संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय) के निर्देशानुसार, अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण तथा वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत, पुलिस उपायुक्त (मध्य) के पर्यवेक्षण और अपर पुलिस उपायुक्त (मध्य) तथा सहायक पुलिस आयुक्त (हजरतगंज) के मार्गदर्शन में, थानाध्यक्ष शिवमंगल सिंह के नेतृत्व में थाना हुसैनगंज पुलिस टीम द्वारा थाना हुसैनगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 0174/2025 धारा 304(2)/317(2) बी0एन0एस0 से सम्बन्धित प्रकाश में आये 03 नफर बाल अपचारीगण को झपटमारी के 01 अदद समसंग मोबाइल, 01 अदद समसंग की बाडी व पार्ट व घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोटर साइकिल को बरामद करते हुये संरक्षण / अभिरक्षा में लिया गया। बाल अपचारीगण के खिलाफ अग्रिम विधिक कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

02-घटना का संक्षिप्त विवरण:-

थाना हुसैनगंज पर दिनांक 23.10.2025 को वादी मुकदमा श्री विनय कुमार पुत्र राम प्रकाश निवासी ग्राम निगरी पोस्ट जहांगीराबाद बाराबंकी की सूचना के आधार मु0अ0सं0 0174/2025 धारा 304(2) बी0एन0एस0 बावत अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा वादी के हाथ से फोन छीन कर भाग जाने के सम्बन्ध के सम्बन्ध में पंजीकृत कराया गया था।

आज दिनांक 16.01.2026 को थाना स्थानीय की पुलिस टीम पजावा मोड के बगल हैदल कैनाल पुल के पास से 03 नफर बाल अपचारीगण के कब्जे से झपटमारी के 01 अदद एन्ड्रायड समसंग मोबाइल व 01 अदद समसंग मोबाइल बाडी व पार्टस तथा घटना में प्रयुक्त वाहन मोटर साइकिल आर - 15 वाहन संख्या UP32 PB 0177 को बरामद करते हुये समय करीब 12.35 बजे नियमानुसार संरक्षण / अभिरक्षा में लिया गया। बाल अपचारीगण उपरोक्त को माननीय न्यायलय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। आपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में अन्य थाना व जनपद से जानकारी की जा रही है।

04- अनावरित अभियोग:-

1. मु0अ0सं0 0174/2025 धारा 304(2)/317(2) बी0एन0एस0 थाना हुसैनगंज जनपद लखनऊ।

05- बाल अपचारीगण का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 0087/2025 धारा 304(2) बी0एन0एस0 थाना हुसैनगंज जनपद लखनऊ।
2. मु0अ0सं0 0174/2025 धारा 304(2)/317(2) बी0एन0एस0 थाना हुसैनगंज जनपद लखनऊ।
3. मु0अ0सं0 0004/2026 धारा 317(2) बी0एन0एस0 थाना हुसैनगंज जनपद लखनऊ।

06- पंजीकृत अभियोग:-

1. मु0अ0सं0 0004/2026 धारा 317(2) बी0एन0एस0 थाना हुसैनगंज जनपद लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-108
दिनांक- 16.01.2026

जोन- पूर्वी / थाना चिनहट

- **थाना चिनहट पुलिस टीम द्वारा लड़की को शादी का झांसा देकर उसके साथ गलत कार्य करने के आरोपी 01 वाछिंत अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01-संक्षिप्त विवरण-

थाना स्थानीय पर दिनांक 25.11.25 को वादिनी मुकदमा द्वारा वादिनी को शादी का झांसा देकर उसके साथ गलत कार्य करने के संबन्ध में मु0अ0स0 678/2025 धारा 69/115(2)/351(3)/352 बीएनएस बनाम- हर्ष राज पुत्र सतीश कुमार निवासी वार्ड नं0 07 रानीगंज मोहल्ला चकिया थाना चकिया जिला मोतीहारी बिहार उम्र 27 वर्ष के पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना उ0नि0 धनंजय कुमार सिंह द्वारा सम्पादित की जा रही थी।

अभियुक्त हर्ष राज उपरोक्त को दिनांक 16.01.2026 को मटियारी चौराहे थाना चिनहट लखनऊ से गिरफ्तार कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

02-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. हर्ष राज पुत्र सतीश कुमार निवासी वार्ड नं0 07 रानीगंज मोहल्ला चकिया थाना चकिया जिला मोतीहारी बिहार उम्र करीब 27 वर्ष

03-अनावरित अभियोग का विवरण:-

1. मु0अ0सं0-678/2025 धारा 69/115(2)/351(3)/352 बीएनएस थाना चिनहट जनपद लखनऊ

04-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

01. उ0नि0 धनंजय कुमार सिंह कोतवाली चिनहट जनपद लखनऊ।
02. उ0नि0 अजय कुमार कोतवाली चिनहट जनपद लखनऊ।
03. हे0का0 विनोद कुमार पटेल थाना चिनहट लखनऊ।

07- बरामदगी का विवरण:-

1. समसंग एन्ड्रायड मोबाइल – 01 अदद।
2. समसंग मोबाइल की बाडी पार्ट्स – 01 अदद।
3. घटना में प्रयुक्त एक अदद मोटरसाइकिल आर – 15 वाहन संख्या UP32 PB 0177

08-अभिरक्षा / संरक्षण में लेने वाली टीम:

1. व0उ0नि0 श्री राम गौतम (बाल कल्याण पुलिस अधिकारी), थाना हुसैनगंज लखनऊ।
2. उ0नि0 गौरव सिंह, थाना हुसैनगंज लखनऊ।
3. का0 मनीष कुमार तिवारी, थाना हुसैनगंज लखनऊ।
4. का0 अजय चौधरी, थाना हुसैनगंज लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस विज्ञप्ति सं.-106

दिनांक- 16.01.2026

लखनऊ के अन्तर्गत थाना- गुडम्बा, लखनऊ क्षेत्र के मनबढ़ एवं दबंग व्यक्ति को उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम-1970 के तहत लखनऊ की सीमा से निष्कासित (जिलाबदर) किये जाने का पारित किया गया आदेश-

न्यायालय संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय), लखनऊ में लोक शान्ति व्यवस्था बनाये रखने तथा आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु संस्थित वाद संख्याः 201(80)/2025 से सम्बन्धित विपक्षी के विरुद्ध न्यायालय में उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम-1970 की धारा-3 के तहत सुनवाई के दौरान विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तथा राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान संयुक्त निदेशक अभियोजन, लखनऊ **श्री अवधेश कुमार सिंह** द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सुना गया तथा पत्रावली का परिशीलन किया गया। अभियोजन के तर्कों से संतुष्ट होकर पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आज दिनांक 16.01.2026 को खुले न्यायालय में विपक्षी के आपराधिक कृत्यों पर अंकुश लगाये जाने के क्रम में विपक्षी को लखनऊ की सीमा से निष्कासित (जिलाबदर) किये जाने का आदेश पारित किया गया।

थाना	क्र0 सं0	वाद सं0	नाम व पता विपक्षी	आपराधिक इतिहास				जिलाबदर की अवधि
				क्र0 सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	
गुडम्बा	1	201(80)/2025	आजाद उर्फ भोले उर्फ आदित्य कनौजिया उम्र करीब 29 वर्ष पुत्र राकेश कुमार, निवासी बसहा, थाना गुडम्बा, लखनऊ	1	370/2020	392/506/411 भा0द0वि0	बी0के0टी0	06 माह
				2	397/2020	323/504/506/394/411 भा0द0वि0	बी0के0टी0	
				3	294/2021	279/337/338/323/427/342/325 भा0द0वि0	गुडम्बा	
				4	308/2022	379/411 भा0द0वि0	जानकीपुरम	
				5	141/2025	303(2)/317(2)/338/336(3)/340(2) बी0एन0एस0	गुडम्बा	

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-105
दिनांक 16/01/2026

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ में ***ऑपरेशन पहचान*** के तहत जनपद लखनऊ में किरायेदार के रजिस्ट्रेशन की शुरूवात की गयी है। जिसमें वर्ष 2025 में मध्य जोन में 843, पूर्वी जोन में 6657, दक्षिणी जोन में 4928, पश्चिमी जोन में 532, उत्तरी जोन में 904, इस प्रकार **कुल 13,864** रजिस्ट्रेशन किये गये। थाने की टीम द्वारा किये गये रजिस्ट्रेशनों का लगातार भौतिक सत्यापन किया जा रहा है।

ऑपरेशन पहचान के तहत मकान मालिक को किराएदार का पंजीकरण कराने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाते हेतु लखनऊ पुलिस की वेबसाइट ***http://lucknowpolice.up.gov.in*** अथवा ***UPCOP APP*** पर यह सुविधा प्रदान की गई है।

किरायेदारों के पंजीकरण हेतु की जाने वाली कार्यवाही का विवरण निम्नवत् है:-

1. समस्त मकान मालिकों का यह दायित्व होगा कि उनके यहां निवास कर रहे किरायेदार की जानकारी लखनऊ पुलिस की वेबसाइट ***http://lucknowpolice.up.gov.in*** अथवा ***UPCOP APP*** पर जाकर देना होगा।
2. मकान मालिकों को यह पूरी प्रक्रिया, किरायेदार को मकान/सम्पत्ति किराये पर देने से पूर्व अथवा देने के **01 माह के भीतर** करना अनिवार्य है।
3. सभी किरायेदारों का सत्यापन कराना अनिवार्य है। यदि **किरायेदार एक से अधिक** है तो उनका भी **सत्यापन कराना अनिवार्य** होगा।
4. किरायेदार पंजीकरण के उपरान्त सम्बन्धित **थाना की टीम द्वारा भौतिक सत्यापन** किया जायेगा। सभी मकान मालिकों से अनुरोध है कि भौतिक सत्यापन करने आने वाली टीम का सहयोग करें।
5. समस्त मकान मालिकों का यह दायित्व होगा कि उनके यहां रहने वाले **किरायेदार से सम्बन्धित दस्तावेज अपने पास संरक्षित रखेंगे**।(जैसे- फोटो, आधार कार्ड, मोबाइल नम्बर व किरायेदार का मूल पता आदि)
6. यदि किसी किरायेदार की संलिप्तता अपराधिक गतिविधियों में पायी जाती है, तथा उस किराएदार की सूचना मकान मालिक द्वारा पुलिस को नहीं दी गई होगी,तो उनके विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी।
7. यदि कोई मकान मालिक किसी **विदेशी व्यक्ति को मकान किराये** पर देते है, तो उनके द्वारा **FORM C** भरा जायेगा और स्थानीय पुलिस को भी इसकी जानकारी देनी होगी।

अभियान के तहत कार्यवाही-

- ऑपरेशन पहचान के अंतर्गत किरायेदार पंजीकरण को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट द्वारा समस्त थाना क्षेत्रों में लगातार **जागरूकता अभियान** भी चलाया जा रहा है।
- पुलिस टीमों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में **मकान मालिकों से संपर्क** कर उन्हें किरायेदार पंजीकरण एवं सत्यापन की अनिवार्यता के बारे में जागरूक किया जा रहा है।
- पुलिस द्वारा मकान मालिकों को यह जानकारी दी जा रही है कि वे अपने यहां आने-जाने वाले **प्रत्येक किरायेदार** का **लखनऊ पुलिस की वेबसाइट** अथवा **UPCOP APP** पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराएं एवं सत्यापन पूर्ण कराएं, ताकि किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके।
- इसके अतिरिक्त, **मोहल्लों एवं आवासीय क्षेत्रों में लाउडस्पीकर** के माध्यम से आम जनता को भी जागरूक किया जा रहा है, जिसमें यह संदेश दिया जा रहा है कि बिना सत्यापन के किरायेदार न रखें तथा किरायेदार से संबंधित समस्त जानकारी समय से पुलिस को उपलब्ध कराएं। इस जन-जागरूकता अभियान का उद्देश्य **नागरिकों की सहभागिता से जनपद में कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाना** है।

अपील:-

सभी मकान मालिकों से अपील है कि अपने यहां रहने वाले किरायेदारों से उनका चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें। चरित्र प्रमाण पत्र लखनऊ पुलिस की वेबसाइट ***http://lucknowpolice.up.gov.in*** अथवा ***UPCOP APP*** पर आवेदन करके प्राप्त किया जा सकता है ।